# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत---जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

नानगा वगै0 बनाम छोटा देवी एवं अन्य

किस्म मुकदमा– स्थानान्तरण प्रा0पत्र नम्बर--------------------सन्– 2

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23-8-23 | रीडर<br>जिला कलक्टर, दौसा | |
| 25.8.2023 | अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान श्री रामावतार मीना, वर्तमान में नांगल राजावतान में कार्यरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के पद पर अन्य अधिकारी कार्यरत है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचत्य नहीं रह गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त स्थानान्तरण प्रा0पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।<br><br>सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official<br><br>जिला कलक्टर<br>दौसा | |